Dr. Kumari Kiran
Department of Home Science.
AL-Habeeb College, Agra.

B.A-Part III VIII Paper (Family Relationship)

Philosophy, values and goals of Marriage.
(विवाह के दर्शन, मूल्यों एवं लक्ष्यों)

परिवार के लिए पत्नी अर्थ विवाह होता है। विवाह धार्मिक क्रियाओं द्वारा संपन्न पवित्र बंधन है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है, प्रथा है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष को विशेष नियमों के अंतर्गत यौन संतुष्टि का अवसर मिलता है। तथा परिवार के व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का निर्धारण होता है। हिन्दू विवाह का अर्थ केवल यौन-संतुष्टि ही नहीं, बल्कि धर्म का पालन भी है। प्रत्येक हिन्दू का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। मोक्ष ही हिन्दू समाज में मानव का चरम विकास माना गया है। और विकास के इस स्तर तक पहुँचने के साधनों में विवाह का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी आधार पर विवाह को भिन्न-भिन्न रूप से अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है।

(1) वेस्टरमार्क के अनुसार — "विवाह संस्था का संबंध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारणतः कानून अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के यौन संबंध स्थापित करने और उनसे संबंधित सामाजिक और आर्थिक संबंधों को अधिकार देती है।"

इस परिभाषा में वेस्टरमार्क ने विवाह की तीन विशेषताएं बताया है।

(i) विवाह एक संस्कार है जो धार्मिक या कानूनी रूप से हो सकता है।
(ii) विवाह का उद्देश्य दो विषम लिंग के व्यक्तियों का यौन संतुष्टि का आधार देना है।
(iii) इसमें आर्थिक तत्व के आधार पर व्यक्ति के आपसी संबंधी अधिकारों का निर्धारण होता है।

Scanned with CamScanner

(2) श्री एन. आर. मुखर्जी के अनुसार —
"कुछ धार्मिक संस्कारों द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त दो स्त्री पुरुष का विधिवत मिलन ही विवाह है, जिनका उद्देश्य धार्मिक कार्य, पुत्र-प्राप्ति तथा रति के प्रयोजन को पूरा करना है"।

(3) डा० रामनाथ शर्मा के अनुसार —
"हिन्दू विवाह की परिभाषा धार्मिक संस्कार के रूप में दी जाती है, जिसमें धर्म प्रजोत्पत्ति तथा रति आदि के मौलिक, सामाजिक प्रयोजनों में एक स्त्री-पुरुष परस्पर स्थायी बंधन में बँध जाते हैं"।

(4) गिलिन एंड गिलिन के अनुसार —
"विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की संस्थापना की समाज द्वारा स्वीकृत विधि है"।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर विवाह संस्था से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार कहा जा सकता है।

(i) विवाह शब्द का प्रयोग सामान्यतया एक सामाजिक संस्था के रूप में किया जाता है।

(ii) यह संस्था प्रमुख रूप से व्यक्ति को यौन संबंधों का अधिकार देती है और व्यक्ति से आशा करती है कि कुछ नियमों को पालन करते हुए अपने इस अधिकार का उपभोग करेगा।

(iii) यह केवल यौन संबंधों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे एक आर्थिक संस्था भी कहा जा सकता है, क्यों कि विवाह का प्रभाव पति और पत्नी के संम्पत्ति के अधिकारों पर भी पड़ता है।

(iv) विवाह तभी मान्य होता है जब कि दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध का निर्धारण किसी प्रथा या कानून के अनुसार हो।

(v) विभिन्न समाजों में विवाह-पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, क्यों कि विभिन्न समाजों की प्रथाओं, कानूनों या सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता होती है। पाश्चात्य देशों में या पारसी विवाह तभी मान्य होता

है जब उसे समाज या ~~राज्य~~ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। जिस विवाह को समाज या राज्य द्वारा मान्यता नहीं मिलती है वह अवैध माना जाता है।

भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों का विवाह उचित समय पर करें। विवाह प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कोई धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य पूर्ण नहीं हो पाते। धर्मशास्त्रों में भारतीय परिवार में विवाह के उद्देश्य बताये गए हैं, जो इस प्रकार है।—

(i) पितृ ऋण चुकाना →

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में विवाह के तीन उद्देश्य है— धर्म, प्रजा और रति। हिन्दू व्यवस्था के अनुसार विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म का पालन है, दूसरा उद्देश्य प्रजा अर्थात संतान की प्राप्ति है और तीसरा उद्देश्य विषय भोग है। यह समझा जाता है कि मनुष्य तीन ऋणों से दबा हुआ है। ऋषि-ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। माता-पिता के प्रति हमारा ऋण पितृ ऋण है जैसे उन्होंने हमें जन्म दिया है, वैसे ही विवाह करके संतान उत्पन्न करना, वंश क्रम को बढ़ाना, हमारा धर्म है। पितृ-ऋण चुकाना एक धार्मिक कर्तव्य है।

(ii) विवाह के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होना —

भारतीय परिवार में विवाह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है। कुछ धार्मिक कर्तव्य ऐसे हैं जिसके लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। और इसलिए विवाह आवश्यक है। हिन्दू के जीवन के लिए धर्म अर्थ, काम और मोक्ष — ये चार उद्देश्य हैं। मनुष्य जो कुछ करता है धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। सब कर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। महाभारत में जरत्कारु ऋषि के बारे में लिखा है कि उन्होंने पहले विवाह नहीं किया था, किन्तु अपने पितरों की दुर्दशा देख कर उन्हें विवाह करना पड़ा। इसलिए स्त्री को सह-धर्मिणी कहते हैं।

(iii) पुत्र प्राप्ति —

पितरों की पूजा तथा पिण्डदान के लिए पुत्र होना तथा पुत्र के लिए विवाह आवश्यक है। हिन्दू व्यवस्था के अनुसार यह समझा जाता है कि मरने के बाद मनुष्य पितरों की श्रेणी में चला जाता है और जब तक पुत्र द्वारा पितरों को पिण्डदान देकर तर्पण नहीं होता, तब तक पितरों का उद्धार नहीं होता। पितरों के पिण्डदान के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है,

(iv) रति —

विवाह का मुख्य उद्देश्य यौन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना भी है। हिन्दू शास्त्रों में संभोग सुख की तुलना ब्रह्मानन्द से की गई है। संभोग का मुख्य उद्देश्य धार्मिक संतान की उत्पत्ति करना है।

(v) पारिवारिक उद्देश्य —

पारिवारिक परम्परा, धर्म, प्रथा आदि को बनाये रखने के लिए हिन्दुओं में विवाह आवश्यक है, क्यों कि परिवार मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है और परिवार विवाह के बाद ही बनता है। माता-पिता के ऋण का दायित्व निभाने के लिए भी विवाह आवश्यक है।

(5.) सामाजिक उद्देश्य —

हिन्दू जीवन में सम्पूर्ण जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। क्यों व्यक्ति केवल परिवार रह कर ही विभिन्न व्यक्तियों में और समूहों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन सबसे अच्छे रूप से कर सकता है। इस दृष्टिकोण से परिवार का निर्माण करना और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना ही विवाह का उद्देश्य है— समाज की निरंतरता को बनाये रखने के लिए विवाह करना आवश्यक है।

(6.) व्यक्तित्व का विकास —

मनु के अनुसार वही आदमी पूरे हैं। जिनके पत्नी एवं बच्चे हैं। स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं।

Scanned with CamScanner

जो एक दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं माता - पिता द्वारा ही बच्चों की सांस्कृतिक विशेषताओं की सीख ली जाती है।

इस प्रकार कहा जाता है कि विवाह के उद्देश्यों में केवल जैविकीय आधार पर ही नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। विवाह का उद्देश्य पति - पत्नी के मध्य पारस्परिक समन्वय तथा सामंजस्य द्वारा पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की सुव्यवस्था, सुख - व्यवस्था एवं शांति की रक्षा करना है।